

**कार्यालय,****सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,****उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या- प्राधिप/परिषद संशो0 सम्बद्धता/2022/10770

लखनऊ दिनांक: 15/12/2022

**:-कार्यालय आप:-**

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा बौद्धिक सत्र 2022-23 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरोक्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ/प्र0 लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 30/08/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु आर्गोदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से स्थापित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया। सम्बद्धता समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुक्रम में संस्थानों को सम्बद्धता पत्र तत्समय पी0सी0आई0 द्वारा अनुमोदित प्रवेश क्षमता के अनुसार प्रेषित कर दिया गया था।

पी0सी0आई0 के पत्र सन्दर्भ संख्या 14-443/2022-PCIA(Approval Process 2022-2023)/14705-09 दिनांक 03 नवंबर 2022 में दिए गए निर्देशों क्रम में प्रश्रयत संस्थानों से पूर्व में इंगित कमियों के निराकरण का विवरण एस0आई0एफ0 पर अपलोड करते हुए निर्धारित प्रारूप पर शपथ पत्र दाखिल करने के दिए गए निर्देशों के अनुपालन में इन अभिलेखों के साथ-साथ शपथ पत्र लेकर बहाल की गई प्रवेश क्षमता की सम्बद्धता इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि भविष्य में संस्था के निरीक्षण के समय एस0आई0एफ0 का सत्यापन करना होगा।

**संस्था का कोड एवं नाम : 3013-SHRI GULAB SINGH COLLEGE OF PHARMACY**

क्र0सं0	पाठ्यक्रम का नाम	पी0सी0आई0 द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु प्रदत्त संशोधित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

**सम्बद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ संस्था एस0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1992, विनियमावली-2000, सेमेस्टर विनियमावली-2018 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी0 पाठ्यक्रमों हेतु रू0 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु रू0- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रू0-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2022-23 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दरे लागू होंगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।

- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।
- ✓ यदि संस्थानों का ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु कार्यान्वित प्रारंभ होने के पूर्व ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (कार्यान्वितिंग के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के आधार पर सीधे प्रवेश) अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समया-समय पर निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठि भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपर्युक्त साताकरण उपलब्ध कराने के साथ रेगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/ संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि, भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था के औचक स्थलीय निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई०/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।



(एफ०आर० खान)

सचिव

पू०स०- प्राशिप/परिषद संशोधन सम्बद्धता/2022/10771-11058

15/12/2022

प्रतिलिपि-

प्रधानाचार्य/निदेशक, SHRI GULAB SINGH COLLEGE OF PHARMACY



(एफ०आर० खान)

सचिव

कार्यालय

राज्य प्राविधिक शिक्षा परिषद

उत्तर प्रदेश सरकार

संख्या - प्राशिप/परिषद/सम्बद्धता/2021/3537

संख्यक- दिनांक: 06/08/2021

कार्यालय ज्ञापः

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा वी.एडि.ए. सं. 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तर की तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 06/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सं. 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य सतों पर विचार करते हुए सं. 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सं. 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 3013-SHRI GULAB SINGH COLLEGE OF PHARMACY,VILL-FARIDPUR,AURAIYA-205122

क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आई0सी0टी0आई0/पी0सी0आई0 द्वारा सं. 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सं. 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए0आई0सी0टी0आई0/पी0सी0आई0 द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमव्याप्ती 1982, सेक्टर विनियमव्याप्ती-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वार्षिक इली. पाठ्यक्रमों हेतु ₹0 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वार्षिक फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु ₹0-45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वार्षिक पाठ्यक्रमों (दो वार्षिक फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹0-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर आसन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्रवाई किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सं. 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनताम धरे लागू होगी।
- ✓ संस्था को (उ0प्र0 प्राविधिक शिक्षा समिति/या तथा उप समितियां) संस्थाओं को सम्बद्ध किये जाने) विनियमव्याप्ती-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।



- ✓ संस्था को ए०आई०सी०टी०आई०पी०सी०आई० से अग्रामी स्तर हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाने आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये शिक्षितियों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राथमिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम की संस्थाएँ यदि पी०सी०आई० नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संबंध में सम्बन्धित उत्तरदायित्व संस्था का ही होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई वाद दायम किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में या न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो सम्बन्धित संबंधित संस्था को करना होगा।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की सम्बन्धित सूचनाएँ जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, सज्ज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला सुल्क, छात्रावास सुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को विद्यार्थी-प्रशिक्षण हेतु उपर्युक्त वातावरण उपलब्ध करने के साथ रैमिंग रोकने के सम्बन्ध में सम्बन्धित आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के सम्बन्धित उपलब्ध कराने गये अभिलेख, भूमि-धवन, कर्मचारी, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुरोध की जाएगी।
- ✓ संस्था के स्थलीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, धवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य सज्ज-सज्जा ए०आई०सी०टी०आई०पी०सी०आई०/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

पृ०सं०- प्राथि/परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4809

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिनिधि-

प्रधानाचार्य/निदेशक, SHRI GULAB SINGH COLLEGE OF PHARMACY, VILL-FARIDPUR, AURAIYA-206122



(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव



**कार्यालय,  
राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा परिषद,  
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या- प्राथिप/परिषद/सम्बद्धता/2020/1971

लखनऊ दिनांक: 15-8-2020

:- कार्यालय आप :-

राष्ट्रीय स्तरीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/कार्मेली काउन्सिल ऑफ इन्डिया, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2020-21 हेतु दिल्ली/राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने को संस्था प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को अध्यक्ष प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक संभल गई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु आगे दिए गई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश बनता बुद्धि सहित अन्य सर्वे पर विचार करते हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त को अनुमोदन से सम्बद्धता समिति की बैठक के नोट-3 में दिखीया इन कार्मेली पाठ्यक्रम संचालित करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गहन विचार-विमर्श कर निम्नलिखित निर्णय लिया गया :-


" निजी क्षेत्र में स्थापित डिप्लोमा इन कार्मेली पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाएं, जो प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, एम सत्र 2020-21 हेतु पीसीआईओ द्वारा उन्हें यथावत् अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पीसीआईओ द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित पाठ्यक्रम/प्रवेश बनता के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से पीसीआईओ द्वारा प्रदत्त अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार दिये जाने का निर्णय लिया गया।"

दिनांक 14-08-2020 को आयुक्त सम्बद्धता समिति की बैठक में दिये गये उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निर्मांकित हार्स के अंतर्गत पाठ्यक्रम एवं उत्तर अंकित प्रवेश बनता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	संस्था का नाम	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	पीसीआईओ द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश बनता	पीसीआईओ/परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश बनता
1.	3013	श्री गुरुदास सिंह ज्योतिष और कर्मेली डिप्लोमा-वैदिकदूर अधिका	डिप्लोमा इन कार्मेली	50	50

**सम्बद्धता हेतु हार्स**

- ✓ संस्था पीसीआईओ/पीसीआईओ द्वारा निर्धारित की गयी हार्स का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियमवारी 1982, सेक्टर विनियमवारी-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षों के लिए पाठ्यक्रमों हेतु ₹ 30,150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय कार्मेली पाठ्यक्रम हेतु ₹ 48,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय कार्मेली पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹ 22,500.00 प्रतिवर्ष शुल्क ही कायम रख/प्राप्त से प्राप्त किया जायेगा। आगे के अधिकार प्राप्त/प्राप्तों से शुल्क के सम्बन्ध में सत्र-सत्र पर



संस्थान द्वारा निर्मित किये जाने वाले सल्लानदेंस प्रभावी होंगे और अनुमान कार्यावाही किया जांच अवसथक होगा। नीचे निर्देश-समिति द्वारा बरि सभ 2020-21 हेतु नीचे का पुनर्निर्धारण किया जाता है, जो नीचे को संश्लेषण करे जातु होगी।

- ✓ संस्था को (उपरोक्त प्राविधिक शिक्षा समितियों तथा उप समितियों, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाने) विनियमावली-2000 को लागू का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में अनुसूत प्रवेश परीका परीचर द्वारा आवेदीक प्रवेश को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों को रिक्त रह जाने की श्लिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश को कार्यावाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को सल्ल-सल्ल उप निर्देश सल्लानदेंस को अनुसूत विधायन एवं सम्बद्धता सुल्ल जका सल्ल होगा।
- ✓ संस्था को एडवर्ड्स/एडवर्ड्स/रीजलीजवर्ड्स से अलगही सल्ल हेतु अनुसूतन प्राप्त किया जात अवसथक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनने गये विधि/सिखों/अविधियमों/सल्लानदेंसों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, उओओ, अनुसूत प्रवेश परीका परीचर, उओओ तथा प्राविधिक शिक्षा परीचर, उओओ द्वारा बनने गये नियमों, विनियमों, अदेंसों, निर्देशों का पल्लन करने के लिये सल्ल होगी।
- ✓ विद्यार्थीक इन कार्यावाही अवसथक की संस्थाएं बरि रीजलीजवर्ड्स, गर्ड रिल्ली से अनुसूतन प्राप्त करने में अवसथक वाली है जो इस संस्था में सल्लन अवसथकित संस्था का होगा और विधिक सभ से किसी की कार्यावाही के लिए संस्था सल्ल अवसथक होगी। प्राविधिक शिक्षा परीचर, अनुसूत प्रवेश परीका परीचर, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई सल्ल सल्लर किया जाता है तथा सल्लर सल्लर के संस्था में या, सल्लानदेंस द्वारा किसी अवसथ की प्राविधिक सल्ली अवसथ निर्मित किया जाता है जो सल्लन प्राविधिक सल्लन संस्था को बननी होगी।
- ✓ विद्यार्थीक इन कार्यावाही अवसथक सल्लनदेंस करने वाली संस्थाओं को अनुसूत प्रवेश परीका परीचर, उत्तर प्रदेश सल्लनदेंस द्वारा सल्लनदेंस करे के लिए अवसथकित प्रवेश परीका हेतु अवसथकित प्राप्त होने के पूर्व रीजलीजवर्ड्स से अनुसूतन प्राप्त कर परीचर कार्यावाही को अवसथक सल्लना होगा अल्लवा उरुई प्रवेश को (आवसथकित के सल्लन से सल्लन संस्था सल्लर पर सीधे प्रवेश) अनुसूत नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सल्लनदेंस द्वारा प्रवेश हेतु निर्देश नवीनतम अवसथक विधियों का अनुसूतन सल्लर अवसथक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की सल्लन सुल्लनदेंस उरुई संस्था की ऐतिहासिक पुस्तकालय, सल्लर, सल्लर-सल्लर, अवसथक, प्राप्त किया जाने वाला सुल्लर, अवसथक सुल्लर आदि का विपलन अवसथक सल्लना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षा-प्रविधयन हेतु अनुसूतन सल्लनदेंस अवसथक करने के सल्लर सल्लनदेंस को संस्था में सल्लन अवसथक अवसथक सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था उरु सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रसावित/संसावित प्रावसथक को सल्लने जाते हेतु निर्धारण श्लिति से सल्लर अवसथक सल्लने गये अविधियम, सुनि-सल्लर, कार्यावाही, अवसथक सुल्लनदेंस का सल्लर सल्लर द्वारा किसी अन्य प्रावसथक के संसावित में प्रयोग किया जाता है और परीचर सल्लर इसकी सल्लनदेंस होती है कि संस्था उपसल्लर का प्रयोग किसी अन्य अवसथ के लिए कर रही है जो सल्लनदेंस संस्था को सम्बद्धता सल्लनदेंस किये जाने की अनुसूतता की जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता सल्लर का अनुसूतन न किये जाते अल्लवा सल्लर का अवसथक किये जाने की श्लिति में विनियमानुसार अनुसूतनदेंसक कार्यावाही की जायेगी।

(सु-अवसथक श्लिति)  
सल्लर

पुओसं- प्राविध/परिचर सम्बद्धता/2020/ 1972-3141

सद दिनांक: 15-09-2020

प्रविधिति-अवसथक/निदेशक, श्री सुल्लर सिंह ब्रौचरेंड जीक कार्यावाही, श्लिति-अरीदपुर, अरीदर।

*(Handwritten Signature)*  
 THE DIRECTOR  
 THE STATE BOARD OF TECHNICAL EDUCATION  
 UTTAR PRADESH, VARANASI

*(Handwritten Signature)*  
 (सु-अवसथक श्लिति)  
सल्लर